Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018247/FNOC/COL/2024/0542

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIDYA MANDIR SAMITI SEHORE

आवेदक का पता / Applicant Address : M/S SHARDA VIDYA MANDIR SAMITI KH NO: 626, WARD NO: 25 SUBESH NAGAR SEHORE 466001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2 (Acres)

संपत्ति का पता / Property Address : SHARDA VIDYA MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL KH NO: 626 STATION ROAD SEHORE (M.P) SEHORE NAGAR PALIKA

अग्नि प्राधिकारी दवारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100018247 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग
क्रं./फायर प्लान एप्रूवल/सं.सं./2024/204 भोपाल, दिनांक 09.12.2024

फायर प्लान अप्रूवल

आवेदन क्रं./ तिथि : 6100018247/08.12.2024

आवेदक का नाम एवं पता : शारदा विद्या मंदिर हा.से. स्कूल खसरा नं. 626, स्टेशन रोड़, नगर पालिका सीहोर, जिला-सीहोर (म.प्र)

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार : फायर प्लान अप्रूवल

अधिभोग का प्रकार : शैक्षणिक भवन

प्लाट एरिया 2.00 एकड़

भवन क्षेत्रफल 2615.89 वर्ग मीटर, ऊँचाई 09 मीटर

गठित समिति दवारा प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानों व शर्तों के अंतर्गत फायर प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018247/FNOC/COL/2024/0542

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIDYA MANDIR SAMITI SEHORE

1. निम्नांकित आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(1) Access.
(2) Wet Riser.
(3) Down Comer.
(4) Hose Reel.
(5) Automatic Sprinkler System.
(6) Yard Hydrant.
(7) U.G. Tank with Draw off Connection.
(8) Terrace Tanks.
(9) Fire Pump.
(10) Terrace Pump.
(11) First Aid Fire Fighting Appliances.
(12) Pressurization System.
(13) Auto Detection System.
(14) Manual operated Electrical Fire Alarm System.
(15) P.A. System with talk back facility.
(16) Emergency Light.
(17) Auto D.G. Set.
(18) Illuminated Exit Sign.
(19) Means of Escape.
(20) Compartmentation.
(21) MCB/ELCB.
(22) Fireman Switch in Lift.
(23) Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
(24) Refuge Area

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओ में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.आई. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018247/FNOC/COL/2024/0542

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Dec-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIDYA MANDIR SAMITI SEHORE

3. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चिन्हित परिसंचरण मार्ग वाहन आवागमन हेतु बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।

4. भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि सुरक्षा के लिये शैक्षणिक भवन हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों एवं एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. निर्मित भवन में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति/कर्मी को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. अनुमोदिन फायर प्लान अनुसार आवेदक को दो माह की अवधि में फायर उपकरण स्थापित कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

9. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

10. अग्नि दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन सीढ़ी (Emergency-Exit) का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।

11. निर्मित भवन की स्थिति में फायर प्लान के अनुमोदन होने के उपरांत फायर उपकरण स्थापित करने के दौरान अथवा विलंब की स्थिति में किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

12. आवेदक को अनुमोदित फायर प्लान में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके । तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।

13. आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रदाय फायर प्लान अप्रूवल स्वत: ही निरस्त मानी जावेगी।

Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018247/FNOC/COL/2024/0542

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIDYA MANDIR SAMITI SEHORE

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो के परीक्षण आधार पर फायर प्लान का अप्रूवल किया जाता है। किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व/दस्तावेज के सम्बंध में शासकीय/अशासकीय विवाद की स्थिति में जारी किया गया अनुमोदन निरस्त माना जावेगा।

SURESH KUMAR BALIYA
Digitally signed by SURESH KUMAR BALIYA
Date: 2024.12.09 14:41:12 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

नगरीय विकास एवं आवास ...
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 2 /05/2025

क्रमांक 1548 /895002/2022/18-3

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी परिषद, जबलपुर/महू/मुरार/पचमढ़ी/सागर
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रदेश में जारी किये जा रहे फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- विभागीय परिपत्र क्रमांक 4981/895002/2022/18-3, दिनांक 16.12.2022 एवं पत्र दिनांक 21.08.2024

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित विभागीय परिपत्र दिनांक 16.12.2022 की कण्डिका-5 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त कंडिका की उप-कण्डिका 5.2 में *"कंडिका क्रमांक 5.1 में निर्धारित 02 माह की समयावधि के भीतर यदि भवन स्वामी/संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है, तो विलंबित समय हेतु प्रतिदिन रूपये 500/- की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेवी (Levy) किया जायेगा, जो कि एक वर्ष के पश्चात् रूपये 1000/- प्रतिदिन की दर से देय होगी।"* उल्लेखित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा उक्त कंडिका अनुसार दण्ड के अधिरोपण की गणना को दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक शिथिल किया जाता है। इस अवधि में कृपया सभी अग्निशमन प्राधिकारी अपने-अपने प्राधिकार क्षेत्रांतर्गत विशेष अभियान चलाकर कंडिका क्रमांक 5.1 के अंतर्गत आने वाले भवनों/प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर, उनके अधिभोगियों/स्वामियों को 31 दिसम्बर 2025 के पूर्व फायर प्लान प्रस्तुत कर, संबंधित अग्निशमन प्राधिकारी से अनुमोदन कराने, सूचित करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 02.05
(आर.के. कार्तिकेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल दिनांक 2 /05/2025

क्रमांक 1549 /895002/2022/18-3

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र., भोपाल की ओर उनके द्वारा प्रेषित टीप जावक क्रमांक 7721, दिनांक 28.3.2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. श्री देवेन्द्र कुमार व्यास, सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर ई-नगरपालिका पोर्टल में उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 02.05
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग